GOVERNMENT OF BIHAR

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTIFICATION

No. ..../Patna, Date ....

In exercise of powers conferred by Section 309 of the Constitution, the Governor of Bihar hereby frames the under-mentioned **Engineering and Polytechnic Laboratory Cadre Rules, 2014 (Science & Technology Department)** relating to recruitment, promotion and constitution of other service conditions of Technical Assistant and other senior posts in Govt. Engineering Colleges/Institutes and Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics under the Department of Science and Technology:

1. **Short Title, Extent and Commencement:**

   (1) These Rules shall be known as **Engineering and Polytechnic "Laboratory Cadre Rules, 2014 (Science & Technology Department)".**

   (2) These Rules shall apply to all the Govt. Engineering Colleges/Institutes and Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics under the Department of Science and Technology, Govt. of Bihar, in the entire state of Bihar.

   (3) These Rules shall come into force from the date of Notification.

2. **Definitions: In these Rules, unless the context otherwise implies:**

   (i) "Cadre" means Engineering and Polytechnic Laboratory Service Cadre as laid down under Rule 3.

   (ii) "Government" means the 'Government of Bihar'.

   (iii) "Commission" means 'Bihar Staff Selection Commission' or any other Organization authorized by the Government.

(iv) "Directorate" means the 'Directorate of Science and Technology'.

(v) "Department" means the 'Department of Science and Technology'.

(vi) "Committee" means the 'Departmental Promotion Committee' constituted by the Department.

(vii) "Service" means 'Engineering and Polytechnic Laboratory Service'.

(viii) "Direct Appointment" means appointment to be made on the recommendation of Bihar Staff Selection Commission or any other Organization authorized by the Government.

(ix) "Cadre Member" means the person appointed and included in Engineering and Polytechnic Laboratory Service under the provisions contained in these Rules for Bihar Engineering Colleges/Institutes and Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics.

(x) "Appointing Authority" means the Director, Department of Science and Technology.

(xi) "Vacancies of the year" means the vacancies occurring in a particular year by virtue of creation of new posts, superannuation, death and dismissal.

(xii) "Year" means Financial Year, i.e., the period from April 01 to March 31 of the next year.

3. Cadre Structure for Engineering and Polytechnic Laboratory Service Cadre:

(1) The Cadre Posts and educational and other essential qualifications for them shall be as follows:

Sl. No.	Designation	Educational Eligibility	Other Essential Qualifications
1	2	3	4
1	Technical Assistant	For Science Subjects Graduate (with Physics, Chemistry and Mathematics) For Engineering Subjects Two year I.T.I. in relevant trade, with one year Apprenticeship OR Three year Diploma in relevant branch.	---------
2	Senior Technical Assistant	----------	Minimum of 08 years' experience as Technical Assistant, and minimum of 04 weeks' training conducted by National Institute of Technical

			Teachers' Training and Research (NITTTR)
3	Head Technical Assistant	----------	Minimum of 08 years' experience as Senior Technical Assistant, and minimum of 04 weeks' training conducted by National Institute of Technical Teachers' Training and Research (NITTTR)

Clarification: The Cadre does not include persons working against a Contract.

(1) The Cadre shall be state level.

(2) The pay scales and service conditions for the members of this service shall be fixed by the Department.

4. Calculation of Vacancies and Its Intimation to the Commission:

Every year the Government shall calculate the vacancies subject-wise /branch-wise for direct appointment to the posts of Technical Assistant for the Govt. Engineering Colleges/Institutes and Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics and shall accordingly send intimation to the Commission regarding the vacancies for direct recruitment.

5. Direct Appointment:

(1) Direct appointment to the basic Cadre Post, i.e., Laboratory Technical Assistant shall be made in the light of the recommendation of the Commission.

(2) The Written Examination (carrying maximum of 100 marks) shall be held as per the syllabus contained in **Direct Appointment, Annexure- 1.** The Government may amend the syllabus from time to time.

6. Probation Period/Departmental Examination/Training:

(a) The first two years following the appointment shall be Probation Period. The service shall be confirmed after successful completion of and satisfactory service during the probation period.

(b) The appointed person shall have to essentially complete during probation period the training fixed by the Department.

7. Reservation: In case of Direct Appointments in this service, the provisions of Reservation/Roster as provided by the Government from time to time shall remain applicable. The Reservation Roster shall be maintained subject-wise/branch-wise.

8. **Age–limit :** For direct recruitment in the cadre, the minimum age limit will be 18 years and the maximum age limit will be as laid down by the Government (General Administration Department) time to time for category-wise reservation.

9. **Seniority :** The Directorate shall publish in the month of April every year a seniority–list subject-wise/branch-wise of all the duly appointed and working employees for each designation of the Cadre.

10. **Promotion:** The Cadre Members shall be promoted on the recommendation made by the committee in accordance with the provisions as laid down under Rule 3.

11. **Control over Establishment–related Matters:**

Appointment, promotion, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority–list and all matters related to establishment shall be under the control of the Appointing Authority.

12. **Disciplinary Action :** The provisions contained in Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall be applicable for the purpose of disciplinary action against the Cadre Members.

13. **Miscellaneous :** Such subjects or points as are not contained in these Rules shall be covered by the existing rules/instructions in respect of the State Government employees.

14. **Interpretation**: Wherever any doubt arises concerning these Rules, the decision of the State Government shall be binding.

15. **Removal of Difficulty :** In case of anomalies whatsoever related to these Rules, the Government shall remove the same.

16. Repeal : All Notifications/Circulars issued earlier in this regard and prior to commencement of these Rules are hereby repealed. Notwithstanding such repeal, the appointments made or orders issued in pursuance of the aforesaid earlier issued Notification/Circulars shall remain prevalent and legally valid as if they were issued in accordance with the appropriate provisions of these Rules.

By the Order of the Governor of Bihar

ह०/–

(O.P. Rai)
Addl. Secretary to Government

Memo वि० प्रा० (।)स्था०–03/2014/ /Patna deted-

Copy forwarded to the superintendent, Govt. Press Gulzarbagh, Patna /Officer in charge, e-gazette, Finance Deptt., Bihar, Patna (with C D) for information and for Publication in Next Bihar Gazette. He is also requested to send 700 (Seven hundred) Copies of the printed notification to this Department immediately.

ह०/–
Addl. Secretary to Government

Memo वि० प्रा० (।)स्था०–03/2014/ /Patna deted-

Copy forwarded to Secretary to H.E. Governor/Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar/P.S. to Minister, Sc.& T for kind information.

ह०/–
Addl. Secretary to Government

Memo वि० प्रा० (I)स्था०–03 / 2014 / 509 /Patna deted- 2/3/2015

Copy forwarded to A.G., Bihar, Patna/Chief Secreary to Govt, Bihar/All Department/All Head of Department/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna for information.

Addl. Secretary to Government

Memo वि० प्रा० (I)स्था०–03 / 2014 / 509 /Patna deted- 2/3/2015

Copy forwarded to Director, Sc & T./Principal, All Engg. Colleges/Polytenice/ Secretary, SBTE, Bihar, Patna for information and necessary action.

Addl. Secretary to Government

Memo वि० प्रा० (I)स्था०–03 / 2014 / 509 /Patna deted- 2/3/2015

Copy forwarded to I.T. Manager for E-Mail

Addl. Secretary to Government

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
अधिसूचना

संख्या ..../पटना, दिनांक ....

संख्या ..../भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के प्रयोगशालाओं के तकनीकी सहायक एवं अन्य वरीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।** – (1) यह नियमावली ''अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक **प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली, 2015 (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)''** के नाम से जानी जाएगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों तक रहेगा।

   (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ ।** – इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

   (i) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है नियम-3 में यथावर्णित अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला सेवा संवर्ग;

   (ii) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (iii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा अन्य कोई प्राधिकृत संगठन;

   (iv) ''निदेशालय'' से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय;

(v) ''विभाग'' से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग;

(vi) ''समिति'' से अभिप्रेत है विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति;

(vii) ''सेवा'' से अभिप्रेत है अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला सेवा;

(viii) ''सीधी नियुक्ति'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य संगठन की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति;

(ix) ''संवर्ग के सदस्य'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला सेवा में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति;

(x) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग;

(xi) ''वर्ष के अन्दर रिक्ति'' से अभिप्रेत है सेवा में नये पदो के सृजन, सेवा निवृति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उदभूत रिक्ति;

(xii) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात पहली अप्रील से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;

3. **अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना :-**

(1) संवर्ग के पद एवं शैक्षणिक एवं अन्य अनिवार्य योग्यता निम्न प्रकार होगी :-

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता	अन्य अनिवार्य योग्यता
1	2	4	5
1	तकनीकी सहायक	विज्ञान विषयों के लिए- स्नातक (भौतिकी, रसायन, एवं गणित के साथ) अभियंत्रण विषयों के लिए- संबंधित ट्रेड में द्विवर्षीय आई0टी0 आई0 के साथ एक वर्ष का एप्रेन्टिसशिप अथवा संबंधित शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा	-------
2	वरीय तकनीकी सहायक	-------	तकनीकी सहायक के रूप में न्यूनतम 8 वर्षों के अनुभव के साथ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR) के द्वारा

			संचालित न्यूनतम चार सप्ताह का प्रशिक्षण।
3	प्रधान तकनीकी सहायक	-------	वरीय तकनीकी सहायक के रूप में न्यूनतम 8 वर्षों के अनुभव के साथ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR) के द्वारा संचालित न्यूनतम चार सप्ताह का प्रशिक्षण।

स्पष्टीकरण – संविदा पर कार्यरत व्यक्ति संवर्ग के सदस्य नहीं होंगे।

(1) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

(2) इस सेवा के सदस्यों के लिए वेतनमान एवं सेवा शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

4. **रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना** ।– प्रत्येक वर्ष सरकार उस वर्ष के लिए अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों तथा पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु तकनीकी सहायक के पदों पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली विषयवार/शाखावार रिक्तियों की गणना करेगी एवं उसके अनुसार सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली विषयवार/शाखावार रिक्तियों की सूचना आयोग को प्रेषित करेगी।

5. **सीधी नियुक्ति। –** (1) संवर्ग के मूल पद, अर्थात **प्रयोशाला तकनीकी सहायक** के पद पर सीधी नियुक्ति आयेाग की अनुशंसा के आलोक में की जाएगी।

(2) सीधी नियुक्ति परिशिष्ट-I में उल्लिखित पाठयक्रम के आधार पर आयोजित लिखित परीक्षा (जो अधिकतम 100 अंकों की होगी) के आधार पर होगी। सरकार पाठयक्रम में समय - समय पर संशोधन कर सकेगी।

6. **परीक्ष्यमान अवधि/विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण।**-(1) नियुक्ति के बाद दो वर्षो तक परीक्ष्यमान अवधि रहेगी। परीक्ष्यमान अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने पर और उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर सेवा की संपुष्टि की जा सकेगी।

(2) नियुक्त व्यक्ति को परीक्ष्यमान अवधि में विभाग द्वारा अवधारित प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूरा करना होगा।

7. **आरक्षण।** – इस सेवा में सीधी नियुक्ति में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू रहेंगे। आरक्षण रोस्टर विषयवार/शाखावार संधारित होगा।

8. **उम्र सीमा ।**– प्रस्तावित संवर्ग में नयी नियुक्ति हेतु न्युनतम् उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होगा:-

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरूष) – 37 वर्ष

(ख) पिछड़ावर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष

(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) – 40 वर्ष

(घ) अनारक्षित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष

9. **वरीयता।** - निदेशालय प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए विधिवत नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मियों की विषयवार/शाखावार वरीयता सूची प्रकाशित करेगा।

10. **प्रोन्नति।** – इस संवर्ग के सदस्यों को नियम-3 में उपबंधित प्रावधानों के अधीन समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति देय होगी।

11. **स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण।** – इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापना, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा।

12. **अनुशासनिक कार्रवाई।** – सेवा के सदस्यों के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

13. **विविध ।**- जिन विषयों या विन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।

14. **निर्वचन।** - जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ इस विषय पर राज्य सरकार का निर्णय आबद्धकर होगा।

15. **कठिनाइयों का निराकरण।** - नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

16. **निरसन।** – (1) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व इस संबंध में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/2/15

(ओ० पी० राय)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)स्था०-03/14 509 /पटना, दिनांक- 21/2/2015

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित) को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 700 (सात सौ) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय।

19/2/15

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)स्था०-03/14 509 /पटना, दिनांक- 21/2/2015

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19/2/15

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)स्था०-03/14 509 /पटना, दिनांक- 21/2/2015

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

19/2/15

सरकार के अपर सचिव

19/2/15

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)स्था०-03/14 509 /पटना, दिनांक- 2/3/2015

प्रतिलिपि- निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)स्था०-03/14 509 /पटना, दिनांक- 2/3/2015

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(v) ''विभाग'' से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग;

(vi) ''समिति'' से अभिप्रेत है विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति;

(vii) ''सेवा'' से अभिप्रेत है अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला सेवा;

(viii) ''सीधी नियुक्ति'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य संगठन की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति;

(ix) ''संवर्ग के सदस्य'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला सेवा में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति;

(x) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग;

(xi) ''वर्ष के अन्दर रिक्ति'' से अभिप्रेत है सेवा में नये पदो के सृजन, सेवा निवृति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उदभूत रिक्ति;

(xii) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात पहली अप्रील से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;

3. **अभियंत्रण एवं पोलिटेकनिक प्रयोगशाला सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना :-**

(1) संवर्ग के पद एवं शैक्षणिक एवं अन्य अनिवार्य योग्यता निम्न प्रकार होगी :-

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता	अन्य अनिवार्य योग्यता
1	2	4	5
1	तकनीकी सहायक	<u>विज्ञान विषयों के लिए-</u> स्नातक (भौतिकी, रसायन, एवं गणित के साथ) <u>अभियंत्रण विषयों के लिए-</u> संबंधित ट्रेड में द्विवर्षीय आई0टी0 आई0 के साथ एक वर्ष का एप्रेन्टिसशिप अथवा संबंधित शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा	-------
2	वरीय तकनीकी सहायक	-------	तकनीकी सहायक के रूप में न्यूनतम 8 वर्षो के अनुभव के साथ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR) के द्वारा

			संचालित न्यूनतम चार सप्ताह का प्रशिक्षण।
3	प्रधान तकनीकी सहायक	-------	वरीय तकनीकी सहायक के रूप में न्यूनतम 8 वर्षों के अनुभव के साथ राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (NITTTR) के द्वारा संचालित न्यूनतम चार सप्ताह का प्रशिक्षण।

स्पष्टीकरण – संविदा पर कार्यरत व्यक्ति संवर्ग के सदस्य नहीं होंगे।

(1) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

(2) इस सेवा के सदस्यों के लिए वेतनमान एवं सेवा शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

4. **रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना** ।– प्रत्येक वर्ष सरकार उस वर्ष के लिए अभियंत्रण महाविद्यालयों/संस्थानों तथा पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु तकनीकी सहायक के पदों पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली विषयवार/शाखावार रिक्तियों की गणना करेगी एवं उसके अनुसार सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली विषयवार/शाखावार रिक्तियों की सूचना आयोग को प्रेषित करेगी।

5. **सीधी नियुक्ति। –** (1) संवर्ग के मूल पद, अर्थात **प्रयोशाला तकनीकी सहायक** के पद पर सीधी नियुक्ति आयेाग की अनुशंसा के आलोक में की जाएगी।

(2) सीधी नियुक्ति परिशिष्ट-I में उल्लिखित पाठयक्रम के आधार पर आयोजित लिखित परीक्षा (जो अधिकतम 100 अंकों की होगी) के आधार पर होगी। सरकार पाठयक्रम में समय - समय पर संशोधन कर सकेगी।

6. **परीक्ष्यमान अवधि/विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण।**-(1) नियुक्ति के बाद दो वर्षो तक परीक्ष्यमान अवधि रहेगी। परीक्ष्यमान अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने पर और उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर सेवा की संपुष्टि की जा सकेगी।

(2) नियुक्त व्यक्ति को परीक्ष्यमान अवधि में विभाग द्वारा अवधारित प्रशिक्षण अनिवार्यत: पूरा करना होगा।

7. **आरक्षण।** – इस सेवा में सीधी नियुक्ति में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू रहेंगे। आरक्षण रोस्टर विषयवार/शाखावार संधारित होगा।

8. **उम्र सीमा** ।– प्रस्तावित संवर्ग में नयी नियुक्ति हेतु न्युनतम् उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होगा:-

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरूष) – 37 वर्ष

(ख) पिछड़ावर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष

(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) – 40 वर्ष

(घ) अनारक्षित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष

9. **वरीयता।** - निदेशालय प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए विधिवत नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मियों की विषयवार/शाखावार वरीयता सूची प्रकाशित करेगा।

10. **प्रोन्नति।** – इस संवर्ग के सदस्यों को नियम-3 में उपबंधित प्रावधानों के अधीन समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति देय होगी।

11. **स्थापना संबंधी कार्यो का नियंत्रण।** – इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापना, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होगा।

12. **अनुशासनिक कार्रवाई।** – सेवा के सदस्यों के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

13. **विविध** ।- जिन विषयों या विन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।

14. **निर्वचन।** - जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ इस विषय पर राज्य सरकार का निर्णय आबद्धकर होगा।

15. **कठिनाइयों का निराकरण।** - नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

16. **निरसन।** – (1) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व इस संबंध में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह०) 19/2/15

(ओ० पी० राय)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)स्था०-03/14 509 /पटना, दिनांक- 21/2/2015

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित) को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 700 (सात सौ) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय।

(ह०) 19/2/15

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)स्था०-03/14 509 /पटना, दिनांक- 21/2/2015

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 19/2/15

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)स्था०-03/14 509 /पटना, दिनांक- 21/2/2015

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 19/2/15

सरकार के अपर सचिव

(ह०) 19/2/15

ज्ञापांक –वि0प्रा0(।)स्था0-03/14 509 /पटना, दिनांक- 2/3/2015

प्रतिलिपि- निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/15

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक –वि0प्रा0(।)स्था0-03/14 509 /पटना, दिनांक- 2/3/2015

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/2/15

19/3/15

सरकार के अपर सचिव